कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाये, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक: भू०अ०/नवि०/ ।   दिनांक 13/6/

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन एवं विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम बलराम पुरा उर्फ सेवड़ी का ग्राम तहसील सांगानेर में भूमि अवाप्ति बाबत् (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नं० :-

422/88

-: आ दे श :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प-6(15)नविआ/11/87 दिनांक 6-1-88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 7 जुलाई, 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5अ की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15)नविआ/3/87 दिनांक 24-7-1989 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम बलरामपुरा उर्फ सेवड़ी का ग्राम तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

क्रमश:----------2/-

क्रम.सं.	मुकदमा नं.	खसरा नं.	रकबा बी.बि.	खातेदारी/खिदमतदारी का नाम
[illegible]	422/88	1	09-08	श्रीमती लक्ष्मी बेवा नाथू जाट
		2	05-04	सा.देह.
		3	03-09	
		4	00-05	
		6	05-01	
		7	03-18	
		8	04-01	
		9	00-01	
		12	02-06	

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 ग्राम बलरामपुरा उर्फ [illegible] का खाता तहसील सांगानेर में श्रीमती लक्ष्मी बेवा नाथू जाति जाट सा.देह. के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार/खिदमतदार को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा दिनांक 27.5.91 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की तकमीला रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/खिदमतदार के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/खिदमतदार ने नोटिस लेने से इंकार किया। तत्पश्चात दिनांक 16.9.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 का नोटिस प्रकाशित करवाया गया। समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन के पश्चात श्रीमती लक्ष्मी(लछमा) बेवा नाथू जाट की ओर से श्री रामनिवास गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, अनिलगुप्ता एड. वकीलों ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र के साथ क्लेम प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति अधिग्रहण के अभिभाषक को दी गई।

श्रीमती लक्ष्मी(लछमा) बेवा नाथू जाट ने अपने क्लेम में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि जयपुर शहर के राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर स्कीम व नई आबादी वाले क्षेत्र के निकट स्थित है। प्रार्थीया ने उपरोक्त खसरा नम्बरान की उपजाऊ भूमि को समतल कराया गया था

क्रमशः----3/-

और कृषि कार्य हेतु खाद लगाकर उपजाऊ बनाया गया व विकास कार्य मे प्रार्थिया का लगभग 50,000/- रूपये(अक्षरे पचास हजार रूपये) खर्च हुये । उसको प्रार्थिया जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने की अधिकारी है । तथा प्रार्थिया एक मात्र कृषि के धन्धे से अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थिया को कृषि के धन्धे के मे विशेष जानकारी है व और प्रार्थिया बिना किसी रोजगार के बेकार हो जायेगी। न्याय की दृष्टि से भी प्रार्थिया को खेती के धन्धे के लिए अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे । प्रार्थिया के परिवार मे 15 सदस्य है, प्रार्थिया इतने बड़े परिवार के भरण पो षण, जीवन निर्वाह व रिहायश हेतु उपरोक्त भूमि काम मे आती है और इसमे कृषि व्यवसाय करके अपना पालन पोषण करते है।

प्रार्थिया की भूमि पर एक कुआ मय बोरिंग 7-½ हार्स पावर मोटर सहित बना है जिसमे अभी 50,000/- रूपये लगाकर गहरा व ठीक करवाया है तथा 2 पम्प लगवाये है। प्रार्थिया का परिवार लगभग 2,000 वर्ग गज मे उक्त कृषि भूमि पर अपना रिहायशी मकान बना कर रह रहे । प्रार्थिया के पास जयपुर शहर मे स्वयं के पास व परिवार के सदस्यो के नाम से कोई रिहायश हेतु भूखण्ड या मकान नही है। प्रार्थिया उक्त कृषि भूमि पर 2000 वर्ग गज भूमि अपने परिवार के रिहायश हेतु आवंटित की जावे। तथा प्रार्थिया की भूमि का मूल्य कम से कम 3,00,000/- रूपये प्रति बीघा से किसी अवस्था मे कम नही है। प्रार्थिया द्वारा निम्न प्रकार से मुआवजा चाहा गया :-

क्र.सं.	विवरण	दर	कुल राशि रूपये मे
1.	2.	3.	4.
1.	खसरा नं0 1 से 9 व खसरा नं. 12 कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा	3,00,000/-	1,00,95,000/-
2.	कुआ : 100 फुट गहरा 10 फुट चौड़ा, 80 फुट सीमेन्टेट एक मे अन्दर 8 फुट चौड़ा 80 फुट बोरिंग 4" 7-½ हार्स पावर की मोटर बिजली की		0,03,00,000/-

1.	2.	3.	4.
3.	कुआ :- 100 फुट गहरा 10 फुट चौड़ा 80 फुट सीमेन्टेट अन्दर 8 फुट चौड़ा 85 फुट बोरिंग 4" 7-½ हार्स पावर की मोटर		0,03,00,000/-
4.	कुंये के पास एक बिजली घर 7×8" पक्का पट्टियों का		15,000/-
5.	ढोडी पक्की 15 दर 150/- प्रति होदी		2,250/-
6.	मिट्टी का डोला 30,000 फुट दर 5 प्रति फुट		1,50,000/-
7.	पाळी केन्डले लगभग 1000 दर 6 प्रति पुला		6,000/-
8.	पानी की पाईप लाइन सीमेन्ट की 4200 फुट दर 5 प्रति फुट		21,000/-
9.	कमरे 10 हाल 2 जिन मे 10×10 25×18 पोर्च लगभग 2000 वर्ग गज मे खसरा नं 09 मे		3,00,000/-
10.	42×35 पक्का हाल जिस पर धान उफार पैदा है		75,000/-
11.	पाटौर 100×10		90,000/-
12.	400 पेड बबूल के पुराने लगभग 10-12 वर्ष पुराने 500 प्रति बबूल		2,00,000/-
13.	200 पेड जेजड़ी के 300 प्रति पेड		60,000/-
14.	10 पेड बटल के 300 प्रति पेड		3,000/-
	5 पेड आम 1000 प्रति पेड		5,000/-
15.	भूमि के विकास कार्य मे 50,000/-		50,000/-
	भूमि स्टेक्चर पेड पोधो की कुल मुआवजा		1,14,72,250/-

प्रार्थिया ने उक्त राशि पर केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 अर्थात 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7-7-1988 से अवार्ड की तिथि तक 12% वार्षिक की दर से मुआवजा राशि की मांग की है तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि 1,14,72,250/- पर 30% अनिवार्य अवाप्ति चार्ज एवं केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28(1) व 34 के अनुसार 9% वार्षिक की दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15% ब्याज की मांग की गई है।

भू.अ. [illegible] अधिकारी
नगर विकास परियोजना
जयपुर

- - - - 5

जविप्रा के अभिभाषक श्री के०पी० मिश्रा ने खातेदार द्वारा जो मुआवजा राशि की मांग की है के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । लेकिन मौखिक रूप से कहा है कि चरण संख्या 1 लगायत 32 व 35 की आपत्तियां जो धारा 9 व 10 की कार्यवाही के अधीन नहीं उठाया जा सकता है और बाद में भी निरस्त किया जा सकता है अतः इन पर विचार नहीं किया जावे । चरण संख्या 33 स्वीकार नहीं है । धारा 6 की कार्यवाही धारा 4(1) के प्रकाशन जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 4-8-88 को हुआ जो एक वर्ष के अंदर प्रकाशित की गई है एवं वैध है । चरण संख्या 35 लगायत 39 स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने मनमाने तौर पर बिना किसी प्रमाण के आधार पर क्लेम पेश किया है । चरण संख्या 40 लगायत 43 कानूनी है । इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि का मुआवजा 24000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किए गए है जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है । अतः मुआवजा राशि 24000/-प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है जविप्रा के अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है । खातेदार/हितधारी ने भूमि की बाजार दर के सबूत में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए है और ना ही स्ट्रेक्चर, पेड़-पौधे आदि के बाबत किसी रजिस्टर्ड वेल्युवर से प्रमाणित तखमीने ही प्रस्तुत किये है । अतः निराधार क्लेम के आधार पर मुआवजा राशि दिया जाना न्यायोचित नहीं है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील/पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराये गये । जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना के मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-8(15) नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 32 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं सचिव, जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावे इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के

[illegible]
नगर विकास परियोजनायें
जयपुर

कर निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में रजीस्ट्री दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दि. 7-7-88 को हुआ था । विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7, जुलाई 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

प्रार्थीया श्रीमती कमला (कमला) की भूमि पर एक कुआ मय बोरिंग 7-1/2 हार्स पावर मोटर सहित बना है जिसको अभी 50,000/-रुपये लगाकर गहरा व ठीक कराया है तथा 2 फर्मे बनवाये है । प्रार्थीया का परिवार लगभग 2,000 वर्गगज में उक्त कृषि भूमि पर अपना रिहायशी मकान बना कर रह रहे। प्रार्थीया के पास जयपुर शहर में स्वयं के पास व परिवार के सदस्यों के नाम से कोई रिहायश हेतु भूखण्ड या मकान नहीं है । प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि पर 2000वर्ग गज भूमि अपने परिवार के रिहायश हेतु आवंटित की जावे । तथा प्रार्थिया की भूमि का मूल्य कम से कम 3,00,000/-रुपये प्रति बीघा से किसी अवस्था में कम नहीं है । भूमि खसरा नं. 1 से 9 व खसरा नं0 12 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा का मुआवजा राशि 1,00,95,000/-रुपये, कुआ का मुआवजा राशि 3,00,000/-रुपये, व दूसरे कुएं की मुआवजा राशि 3,00,000/-रुपये, कुएं के पास एक बिजली का पट्टियों का जिसका मुआवजा 15,000/-रुपये, कोठी पक्की 15 का मुआवजा 2,250/-रुपये, मिट्टी का ढोला की राशि 1,00,000/-रुपये, पानी हौज़ो की राशि 6,000/-रुपये, पानी की पाईप लाईन सीमेन्ट की राशि 24,000/-रुपये, 10 कमरे 2 बास बीच में 10x10 25x18 चौक लगभग 2000 वर्ग गज में जो खसरा नं0 9 में स्थित है की राशि 3,00,000/-रुपये, पक्का बाग जिस पर धान अमर पौधा है की राशि 75,000/-रुपये, पाटोर 100x10 की राशि 90,000/-रुपये, 400 पेड़ बबूल के की राशि 2,00,000/-रुपये, 200 पेड़ बेरों को राशि 60,000/-रुपये, 10 पेड़ बरड़ की राशि 3,000/-रुपये 5 पेड़ आम की राशि 5,000/-रुपये, एवं भूमि के विकास कार्य में 50,000/-रुपये एवं कुल मुआवजा राशि

.....7..

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर-विकास परियोजना
जयपुर

1,14,72,250/-रुपयों की मांग की गई है । तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 संशोधित 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7-7-83 से अवार्ड की तिथि तक 12 % वार्षिक की दर से मुआवजा राशि की मांग की है तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत मुआवजा राशि 1,14,72,250 पर 30% अनिवार्य अवाप्ति भार एवं केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28(1) व 34 के अनुसार 9% वार्षिक की दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15% ब्याज एवं 2000 वर्ग गज भूमि अपने परिवार के आवास के लिए मांग की गई है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि क्लेम में जो मुआवजे की मांग की है वह बहुत अधिक है क्योंकि दावेदार द्वारा भूमि पर कोई बढ़ोत्तर आदि के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये है अतः भूमि का मुआवजा निर्धारण 24000/-प्रति बीघा से किया जाना उचित होगा एवं प्रार्थिया आवास के निर्माण के लिए 2000 वर्ग गज भूमि देना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जविप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जविप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी.आर/91/358 दिनांक 5-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम [illegible] पुरा एवं [illegible] के आस पास में 15,300/-रूपये प्रति बीघा की दर से भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन जैसा तक उनके पत्र का सम्बन्ध है [illegible] यह दर उचित है ।

इसी सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसील-दार जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रथम) ने भी अपने पत्रांक नोट दिनांक 8-6-91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर नहीं बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किए गए है जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है । हम जविप्रा के अभिभाषक के कथन को कि भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रूपये प्रति बीघा दिए जाने का जो निवेदन किया है उसे स्वीकार करते है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजना
जयपुर

अतः इन मामलों में भी न्याय की दृष्टि को देखते हुए इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी । तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अर्न्तगत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है ।

जहाँ तक पेड़-पौधे, कुएं नलके एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रेक्चर का प्रश्न है खातेदार द्वारा चाही गई मुआवजा राशि का किसी भी वेल्यूअर से प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा ना ही अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किए गए है ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर आदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण बाद में अभियन्ता से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने [illegible] आदि प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी सभी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ब" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के नियमानुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23(2) के अर्न्तगत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ब" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं अजार अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अजार अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अर्न्तगत पारित किया जा रहा है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 13-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)

संलग्न:- परिशिष्ट "ब" गणना तालिका.

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ-6 (15) नविआ/87 पार्ट दिनांक 25-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आज दिनांक 25-7-91 को अवार्ड सब इजलास घोषित किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(ह०)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

परिशिष्ट "क" मुआवजा तालिका ग्राम [illegible]पुरा उर्फ [illegible] का बास

मुकदमा नं.	खातेदार/हितधारी का नाम	खसरा	रकबा बी.बि.	मुआवजे की राशि प्रति बीघा	मुआवजा राशि	12% अतिरिक्त राशि मुआवजे पर	तोषण राशि 30%	कुल योग मुआवजा राशि
422/88	श्रीमती कमला देवी नाथू लाल ता. दे.	1	07-08	24,000/-	8,07,600/-	2,84,275/-	2,42,280/-	13,34155/-
		2	05-04					
		3	03-07					
		4	00-05					
		6	05-01					
		7	03-16					
		8	04-01					
		9	00-01					
		12	02-06					
			33-13					

नोटः- 1- तोषण 30 प्रतिशत कालम नं. 7 पर मुआवजा राशि पर देय होगी ।

2- अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4(1) का प्रकाशन दिनांक 7-7-88 से 13-6-91 तक की गई है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनायें, जयपुर)

जयपुर